न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयुपर।

बइजलासः जूही भार्गव आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या 16/2019 निर्णय दिनांक : 22.08.2019

1. हनुमान पुत्र रामचन्द्र जाति कुमावत निवासी ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र नारायणलाल
2. लालाराम पुत्र नानगा
3. प्रभूदयाल पुत्र नानगा
4. सुरेशचन्द पुत्र रामकिशोर
5. पार्वती बेवा रामकिशोर
6. काना पुत्र लिछमण
7. रामू पुत्र लिछमण
8. प्रहलाद पुत्र नारायणलाल
9. फूली देवी धर्मपत्नी रामेश्वरलाल
10. कमली देवी धर्मपत्नी प्रभूदयाल
11. बरजी पत्नी स्व0 रुडा
12. गोपाल लाल पुत्र रुडाराम
13. रामेश्वरलाल पुत्र रुडाराम
14. बाबूलाल पुत्र रुडाराम
15. शिवदान पुत्र रुडाराम
16. नन्छूलाल पुत्र रुडाराम
17. राजेश पुत्र रुडाराम

समस्त जाति कुमावत निवासीयान ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर

18. राजस्थान सरकार लेन्ड होल्डर जरीये तहसीलदार तहसील आमेर मुख्यालय आमेर जयपुर।

——अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया हैं कि ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 433/1 रकबा 2.84 है0, 435 रकबा 0.09 है0, 436 रकबा 0.28 है0, 437 रकबा 0.15 है0, 438 रकबा 0.01 है0, 439 रकबा 0.21 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 442 रकबा 0.29 है0, 443 रकबा 0.07 है0, 444 रकबा 0.07 है0, 447 रकबा 0.04 है0, 448 रकबा 0.55 है0, 451 रकबा 0.27 है0, 505 रकबा 0.47 है0, 506 रकबा 0.18 है0, 507 रकबा 0.16 है0, 509 रकबा 0.06 है0, 511 रकबा 0.24 है0, 513 रकबा 0.06 है0, 515 रकबा 0.28 है0, 518/641

सहायक कलक्टर एवं ...दाक मजिस्ट्रेट आमेर मु. जयपुर

रकबा 0.40 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 6.78 है0 भूमियों में प्रार्थी का 2500/8487 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 17 का भी उक्त भूमियों में हिस्सा है जो मुताबिक जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

उक्त भूमियों का पक्षकारान ने मौखिक रुप से बंटवारा कर रखा है और उसी अनुसार वर्तमान में काबिज काश्त है। मौखिक बंटवारे के अनुसार प्रार्थी के हिस्से में उक्त भूमियों में से खसरा नंबर 515 वाली भूमि आई हुई है तथा उसी अनुसार प्रार्थी खसरा नंबर 515 वाली भूमि पर आई हुई है तथा उसी अनुसार प्रार्थी खसरा नंबर 515 वाली भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त मनबट बटवारे के अनुसार अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं हुआ है इसलिए प्रार्थी ने दिनांक 30.10.2018 को अप्रार्थीगण को पूर्व में हुए बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में बंटवारा कर अंकन करवाने के लिए कहा तो उन्होंने उपरोक्तानुसार बंटवारा कराने से मना कर दिया तथा उन्होने प्रार्थी को धमकी दी कि वे बिना तकासमा करवाये ही प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर प्रार्थी को उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण जब तक उपरोक्त भूमियों का तकासमा विधिनुसार नहीं हो जाता तब तक उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें, न करावें और उपरोक्त वादग्रस्त भूमियों की स्थिति को परिवर्तित नहीं करें तथा न ही प्रार्थी को पूर्व बंटवारे के अनुसार उसके हिस्से की भूमि खसरा नंबर 515 के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, मौका व राजरव रिकार्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखें।

अतः प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदन प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस कदर जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमियां खसरा नंबर 433/1 रकबा 2.84 है0, 435 रकबा 0.09 है0, 436 रकबा 0.28 है0, 437 रकबा 0.15 है0, 438 रकबा 0.01 है0, 439 रकबा 0.21 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 442 रकबा 0.29 है0, 443 रकबा 0.07 है0, 444 रकबा 0.07 है0, 447 रकबा 0.04 है0, 448 रकबा 0.55 है0, 451 रकबा 0.27 है0, 505 रकबा 0.47 है0, 506 रकबा 0.18 है0, 507 रकबा 0.16 है0, 509 रकबा 0.06 है0, 511 रकबा 0.24 है0, 513 रकबा 0.06 है0, 515 रकबा 0.28 है0, 518/641 रकबा 0.40 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 6.78 है0 भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें, वादग्रस्त भूमियों को विक्रय, दान या अन्य किसी प्रकार से अंतरण नहीं करें तथा न ही प्रार्थी को पूर्व बंटवारे के

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर, जयपुर

अनुसार उसके हिस्से की भूमि खसरा नंबर 515 के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं. 2 ता 7 व 9 ता 17 को कई बार जवाब पेश करने हेतु समय दिये जाने के उपरांत जवाब पेश न होने की स्थिति में उनके जवाब का अवसर बंद किया गया तथा अप्रार्थीगण सं. 1 व 8 के समन बाद तामील प्राप्त होने पर वे उपस्थित नहीं हुए।

प्रार्थी की ओर से बतौर सबूत दस्तावेज छायाप्रति जमाबंदी संवत 2073–76 तथा नक्शा ट्रेस की प्रति पेश किए हैं।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई जिन्होने मुख्य रुप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र अंकित किए गए हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में **2016(1) सिविल कोर्ट केसेज 710 (राज0)** एवं **2014(3) सिविल कोर्ट केसेज 16(इला0)** में प्रतिपादित सिद्धांतों का विवेचन किया। हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है, विधिनुसार तकासमे के वाद में मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त संपत्तियों की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा कब्जे की अवधारणा प्रार्थी के पक्ष में है जिससे प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसना पडेगा जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हैं। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 433/1 रकबा 2.84 है0, 435 रकबा 0.09 है0, 436 रकबा 0.28 है0, 437 रकबा 0.15 है0, 438 रकबा 0.01 है0, 439 रकबा 0.21 है0, 440 रकबा 0.16 है0, 442 रकबा 0.29 है0, 443 रकबा 0.07 है0, 444 रकबा 0.07 है0, 447 रकबा 0.04 है0, 448 रकबा 0.55 है0, 451 रकबा 0.27 है0, 505 रकबा 0.47 है0, 506 रकबा 0.18 है0, 507 रकबा 0.16 है0, 509 रकबा 0.06 है0, 511 रकबा 0.24 है0, 513 रकबा 0.06 है0, 515 रकबा 0.28 है0, 518/641 रकबा 0.40 है0 कुल किता 21 कुल रकबा 6.78 है0 वाके ग्राम सरदारपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर पर वे किसी प्रकार का निर्माण न करें तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु.. जयपुर